

झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र
“जियाडा केन्द्रीय कार्यालय”, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, राँची।
फोन नं०- 0651-2460408, फैक्स- 0651-2460125 ईमेल- riada.rnc@gmail.com

पत्रांक:- 710

दिनांक:- 8-4-2021

N.I.T No.-JIADA/RANCHI REGION/01/2021-22

सुरक्षा प्रहरी हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, राँची परिसर सहित प्राधिकार के कतिपय अन्य भवन/परिसर की सुरक्षा हेतु प्रत्येक पाली में कुल-16 सुरक्षा प्रहरी की आवश्यकता है। इस निमित्त प्राधिकृत सुरक्षा एजेन्सी से मुहरबन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तों की विस्तृत विवरणी तथा निविदा प्रपत्र (Tender Documents) विभागीय वेबसाईट riada.co.in पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण तिथि/समय निम्नवत है:-

1.	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि	12.04.2021 से 30.04.2021
2.	प्री विड बैठक	16.04.2021
3.	Response of queries	20.04.2021
4.	सीलबन्द निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय	30.04.2021 समय 3:00 बजे अपराह्न तक
5.	तकनिकी निविदा खुलने की तिथि एवं समय	30.04.2021 के अपराह्न 3:30 बजे

नोट:- प्रत्येक निविदा प्रपत्र के लिये रुपया 1000.00 का Non-refundable (अप्रतिदेय) Demand Draft, “Jharkhand Industrial Area Development Authority, Ranchi Region”, Payable at Ranchi के नाम से निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा से संबंधित किसी भी सूचना/ query हेतु मोबाईल संख्या-9431386208 एवं 9431359644 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अपरिहार्य कारणों से निविदा की उपर्युक्त तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है। निविदा की प्रक्रिया को किसी समय बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

 7.4.21

क्षेत्रीय निदेशक
झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
राँची प्रक्षेत्र



झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र
“जियाडा केन्द्रीय कार्यालय”, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, राँची।

फोन नं०- 0651-2460408, फैक्स- 0651-2460125 ईमेल- riada.rnc@gmail.com

सुरक्षा सेवा हेतु निविदा प्रपत्र

भाग -01 तकनीकी भाग

- 1) झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, राँची हेतु सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत ख्याति प्राप्त ISO 9001:2008 एवं PSRA Act 2005 द्वारा निबंधित सुरक्षा एजेन्सियों से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा को दो भागों में (तकनीकी एवं वित्तीय भाग) अलग-अलग लिफाफे पर क्रमशः तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा तथा उसे एक बड़े लिफाफे में बंद करना होगा जिसपर “सुरक्षा प्रहरी हेतु निविदा” अंकित होगा जिसे निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- 2) प्राप्त निविदाएँ झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, राँची के कार्यालय में निर्धारित तिथि दिनांक 30-04-2021 को अपराह्न 3:30 बजे खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। सर्वप्रथम तकनीकी भाग वाले लिफाफे को खोला जायेगा। तकनीकी भाग के मूल्यांकनोपरान्त मात्र सफल निविदादाताओं के दर भाग को खोला जाएगा। निविदा के द्वितीय भाग / दर भाग को खोलने की सूचना तकनीकी भाग के मूल्यांकनोपरान्त दी जायेगी।
- 3) निविदा प्रपत्र के प्रथम भाग अर्थात् तकनीकी भाग के साथ अग्रधन की राशि के रूप में 25,000.00 (पच्चीस हजार) मात्र एवं निविदा शुल्क 1,000.00 (एक हजार) का बैंक ड्राफ्ट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत किया गया हो एवं झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र को देय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 4) निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
- 5) इस निविदा से संबंधित किसी भी कानूनी कार्रवाई हेतु न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
- 6) असफल/ अस्वीकृत निविदादाता को बिना ब्याज के अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी। सफल निविदादाता यदि कार्यदेश निर्गत होने के 15 दिनों तक सभी औपचारिकतायें पूरी करके सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो निर्गत आदेश रद्द किया जा सकता है तथा अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है।
- 7) अनुबंध की अवधि एक वर्ष की होगी जिसकी गणना कार्य प्रारंभ होने की तिथि से की जायेगी। कार्य अवधि का विस्तार, कार्य की समीक्षा करके संतोषजनक प्रदर्शन पाये जाने पर JIADA, Ranchi Region द्वारा किया जा सकता है।
- 8) विगत तीन वर्षों में सुरक्षा एजेन्सी का Turnover (कारोबार) न्यूनतम 2,00,00,000.00 (दो करोड़) मात्र का होना चाहिए।

- 9) सुरक्षा एजेन्सी को गृह विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं० 5- Security (07) -03/2009 (Home) 3839/ Dated 16.09.2010 के प्रावधान, अहर्ता, शर्तें इत्यादि के अनुरूप निबन्धित होना चाहिए।
- 10) सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा ड्यूटी पर लगाये गये रात्रि प्रहरी एवं सुपरवाइजर द्वारा सर्वदा सभी साजो-सामान यथा - बर्दी, बूट, कैप इत्यादि से लैस रहना होगा। साथ ही, इन सभी के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना तथा चेस्ट पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
- 11) सुरक्षा एजेन्सी को सरकारी प्रावधानानुसार ESI, EPF एवं अन्य संबंधित देयों के भुगतान की प्राप्ति रसीद/ चालान, जो JIADA, Ranchi Region परिसर में कार्यरत सुरक्षा प्रहरी/कर्मचारियों के पक्ष में जमा किया गया हो, को विपत्र के साथ उपलब्ध करानी होगी।
- 12) सुरक्षा एजेन्सी को किसी भी सरकारी संस्थान में न्यूनतम एक वर्ष कार्य अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- 13) सुरक्षा एजेन्सी को वैसे कर्मी को सुरक्षा कर्मी के रूप में प्राथमिकता देते हुए प्रतिनियुक्त करना है जो थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना से सेवानिवृत्त हो एवं उक्त सुरक्षा कर्मी शारीरिक रूप से सक्षम हो और 60 वर्ष से कम आयु के हों।
- 14) सफल सुरक्षा एजेन्सी के साथ किसी प्रकार का स्वामी एवं सेवक का संबंध स्थापित नहीं होगा। सुरक्षा एजेन्सी सभी सुरक्षा कर्मियों के पासपोर्ट/ मतदाता सूची प्रमाण पत्र/ पैनकार्ड/ आधार कार्ड कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- 15) पालियों का समय निम्नवत् होगा:-
- प्रातः 06:00 बजे से दिन के 2:00 बजे तक
 - दिन के 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक
 - रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक
- 16) JIADA, Ranchi Region परिसर में सुरक्षा प्रहरी प्रत्येक पाली में निम्न प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे:-

क्र० सं०	पद का नाम	संख्या
1.	सुरक्षा पहरेदार	16

- 17) सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा निम्नलिखित अहर्ताएँ पूरा करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी :-

क्र० सं०	सुरक्षा एजेन्सी की अहर्ताएँ	पृष्ठ संख्या
1	सुरक्षा एजेन्सी का पूरा नाम एवं पता	
2	सुरक्षा एजेन्सी का निबन्धित पता	
3	सुरक्षा एजेन्सी का स्थानीय पता, दूरभाष संख्या एवं E-mail Address	

4	सुरक्षा एजेन्सी को गृह विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं० 5- Security (07) -03/2009 (Home) 3839/ Dated 16.09.2010 के प्रावधान, अहर्ता, शर्तें इत्यादि के अनुरूप निबन्धन के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
5	विगत तीन वर्षों में सुरक्षा एजेन्सी का न्यूनतम 2,00,00,000 (दो करोड़) मात्र का Turnover (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
6	भविष्य निधि कोड संख्या (EPF) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
7	कर्मचारी राज्य बीमा संख्या (ESI) (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
8	सेवा कर निबन्धन संख्या (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
9	आयकर स्थायी लेखा संख्या (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
10	I.S.O. 9001:2008 की निबन्धन संख्या (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
11	PSRA Act 2005 का निबन्धन संख्या (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
12	निविदादाता को वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) स्तर से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	
13	1,000 निविदा शुल्क एवं 25,000 अग्रधन राशि का विवरण	Name of Bank Demand Draft No.- Amount (₹) - Date:
14	सुरक्षा एजेन्सी को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्राप्त प्रशस्ति पत्र। (यदि है तो छायाप्रति संलग्न करें)	
15	आयकर का अद्यतन वार्षिक रिटर्न (छायाप्रति संलग्न करें)	
16	सर्विस टैक्स का अद्यतन रिटर्न (छायाप्रति संलग्न करें)	
17	विगत तीन वर्षों की Chartered Accountant से अंकेक्षित Balance Sheet (छायाप्रति संलग्न करें)	
18	सरकारी विभागों/ कार्यालयों एवं अन्य उपलब्ध प्रतिष्ठित संस्थाओं में कम से कम 50 (पचास) सुरक्षाकर्मी कार्यरत होने का प्रमाण पत्र।	
19	नोटरी/ मेजिस्ट्रेट के समक्ष का शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि निविदा में दी गई सूचनाएँ सही हैं।	
20	नोटरी/ मेजिस्ट्रेट समक्ष का शपथ पत्र, जिसमें यह उल्लेख हो कि सुरक्षा एजेन्सी को किसी विभाग के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है।	
21	सुरक्षा एजेन्सी को किसी भी सरकारी संस्थान में न्यूनतम तीन वर्षों के कार्य अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।	


क्षेत्रीय निदेशक

झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास
प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र



झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, राँची प्रक्षेत्र
“जियाडा केन्द्रीय कार्यालय”, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र, राँची।

फोन नं०- 0651-2460408, फैक्स- 0651-2460125 ईमेल- riada.rnc@gmail.com

भाग -02 दर भाग

- (1) एजेन्सी को प्रहरी एवं सुपरवाइजर के लिए अलग-अलग दर अंकित करना अनिवार्य होगा।
- (2) दर का ब्रेक-अप निर्धारित प्रपत्र में दिया जाना होगा।
- (3) सुरक्षा एजेन्सी द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियों के मानदेय के दर की गणना वर्तमान में झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी की दरों को ध्यान में रखकर की जायेगी।
- (4) सरकार द्वारा समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तन किए जाने की स्थिति में सरकार द्वारा निर्गत गजट/अधिसूचना के आलोक में सुरक्षा एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में अनुरोध करने पर दरों में संशोधन करने पर विचार किया जाएगा।
- (5) न्यूनतम मजदूरी (Basic + VDA) पर सर्विस चार्ज 1% से कम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार का निविदा आमाम्य मानी जाएगी।

(Amount in Rupees per Month)

SL. No.	Description	Security Guards (Semi Skilled)	Supervisor (Skilled)	Remarks
1	Basic			
2	V.D.A.			
	Total			
3	E.S.I. - 3.25%			
4	E.P.F. - 13%			
5	Bonus - 8.33%			
	Total			
6	Relieving for Holidays (4 Sunday)			
	Total			
7	Service Charges			
	Total			
8	Service Tax			
	Grand Total			

Note:- The rates quoted above should be based on minimum wages and should be inclusive of all statutory obligations as per Union/State Government specifications in this regard.

Signature:.....

Name:.....

Designation:.....

Seal of Company:.....

Date:.....

51